२४५

बीस रुपये COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी-4697/2018/श्योपुर/भू०रा०

मुन्ना पुत्र इस्हाक

निवासी ग्राम कैलोर हाल निवासी

मेवाती मौहल्ला, श्योपुर म.प्र.

विरूद्व

1. म.प्र.शासन द्वार कलेक्टर

जिला–श्योपुर म.प्र.

2. खलील पुत्र इस्माइल

3. मेमूना बेवा सिराज

निवासीगण ग्राम–कैलोर हाल

निवासी कमेले के पास श्योपुर

4. इस्माइल पुत्र गेंदे खां अंसारी

निवासी कागजी टोड़ी, श्योपुर म.प्र.

कलेक्टर जिला–श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/2015–16/स्व.निग./अपर कलेक्टर में पारित आदेश दिनांक 02/02/2018 के विरूद्व पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, मनमाना तथा अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, तहसीलदार कराहल द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं करने के पश्चात अपने विवेक एवं विचाराधिकार का प्रयोग करते हुये आवेदक को कृषि भूमि का व्यवस्थापन किया गया था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

3. यह कि, आवेदक के हित में व्यवस्थापित की गयी भूमि राजस्व विभाग की भूमि थी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को वनक्षेत्र के अंतर्गत वनभूमि मानने में तथ्यों की गंभीर भूल की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.4697/2018/श्योपुर/भू.रा.　　　　जिला- श्योपुर

मुन्ना विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 29/2015-16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	